संख्या-**982**/2024/2992/41-1-2024-सी0एन0-1796538-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **14** दिसम्बर, 2024

विषय:-जनपद-बिजनौर में स्थित विदुरकुटी के समीप पर्यटक सुविधा के अन्तर्गत घाट एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं का निर्माणकार्य की परियोजना को ड्रॉप/निरस्तकिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6897/6-1-1(551)/2023-24, दिनांक 26-11-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **जनपद-बिजनौर में स्थित विदुरकुटी के समीप पर्यटक सुविधा के अन्तर्गत घाट एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं का निर्माणकार्यकी परियोजना को** ड्रॉप/निरस्त **किये जाने** का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त**जनपद-बिजनौर में स्थित विदुरकुटी के समीप पर्यटक सुविधा के अन्तर्गत घाट एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं का निर्माणकार्य**हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-274/2024/820/41-1-2024-001-CN-1796538-2024, दिनांक 05-03-2024 की परियोजना को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 0.75लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6,7, 8व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।